भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1225

दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

परित्यक्त बच्चों को गोद लेना

1225. डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

श्री खगेन मुर्मुः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या परित्यक्त बच्चों में बड़ी संख्या केवल बालिकाओं की है और इनमें से केवल कुछ को ही प्रत्येक वर्ष गोद लिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी आश्रय गृहों में रहने वाले परित्यक्त बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार और उदासीनता ने देश में गोद लेने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसे केवल व्यवसायिक लेनदेन बना दिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेन्सी (कारा) प्लेसमेंट एजेन्सियां विलम्ब रोकने और गोद लेने की प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को विनियमित करने में असफल रही है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : इस समय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं गुजारा भत्ता अधिनियम, 1956 के तहत बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जाता है । बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) नामक ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (24 जून, 2019 तक) के दौरान दत्तक ग्रहण में रखे गए बच्चों का लिंग-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	पुरुष	महिला
2016-17	1443	2345
2017-18	1531	2396
2018-19	1629	2398

2019-20 (24 जून, 2019 तक)	289	455

डाटा यह दर्शाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत दत्तक ग्रहण में रखी गई लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है । हिंदू दत्तक ग्रहण एवं गुजारा भत्ता अधिनियम, 1956 के तहत भी काफी संख्या में घरेलू दत्तक ग्रहण होता है; तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दत्तक ग्रहण पर तदनुरुपी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) : केयरिंग्स पर उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार कुल 6971 अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चे 488 विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (सरकारी एवं गैर-सरकारी) में रह रहे हैं । इसके अलावा, कुल 1706 बच्चे केयरिंग्स में एसएए से जुड़ी बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे हैं । विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों तथा बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है ।

(ग) : जी, नहीं । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के तहत सभी दत्तक ग्रहण का विनियमन राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (घरेलू अंतरग्रहण) और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण) द्वारा किया जा रहा है ।

(घ) और (ड.) : बाल दत्तक ग्रहण सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से दत्तक ग्रहण की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिससे प्रणाली पूर्णत: पारदर्शी एवं सुगम्य हो गई है । दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का पालन न करने वाली विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों को दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 25(3) के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसके बाद जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 65(4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 25 के प्रावधान के अनुसार उन पर जुर्माना किया जाता है या उनकी मान्यता निलंबित/निरस्त की जाती है, यदि वे अधिनियम और/या विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं । इसके अलावा, सरकार इस प्रयोजनार्थ जागरुकता बढ़ाने की पहलें भी संचालित करती हैं ।

****

अनुलग्नक-।

'परित्यक्त बच्चों को गोद लेना' वषय पर डॉ॰ सुकान्त मजूमदार और श्री खगेन मुर्मु द्वारा दिनांक **28** जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1225** के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भत अनुलग्नक

वशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभकरणों में रहने वाले बच्चों की राज्य-वार संख्या **(24.06.2019** तक की स्थिति**)**

क्र.सं.	राज्य	एसएए की संख्या	पुरुष	स्त्री	कुल
1	अण्डमान और निकोबार	2	11	14	25
2	आंध्र प्रदेश	14	242	354	596
3	अरुणाचल प्रदेश	2	2	4	6
3	असम	24	92	96	188
4	बिहार	29	100	155	255
5	चंडीगढ़	1	20	24	44
6	छत्तीसगढ़	13	96	134	230
7	दादर और नगर हवेली	1	0	1	1
8	दिल्ली	12	145	191	336
9	गोवा	2	13	11	24
10	गुजरात	18	44	68	112
11	हरियाणा	8	73	89	162
12	हिमाचल प्रदेश	1	8	4	12
13	झारखंड	15	169	177	346
14	कर्नाटक	33	165	213	378
15	केरल	19	41	48	89
16	मध्य प्रदेश	33	233	363	596
17	महाराष्ट्र	63	449	526	975
18	मणपुर	8	31	26	57
19	मेघालय	6	10	4	14
20	मजोरम	7	10	9	19
21	नागालैंड	4	3	2	5
22	ओडशा	28	218	236	454
23	पुद्दुचेरी	4	7	9	16
24	पंजाब	10	113	202	315
25	राजस्थान	35	73	86	159
26	सक्किम	4	4	2	6
27	तमलनाडु	20	110	151	261
28	तेलंगाना	11	152	276	428
29	त्रिपुरा	9	20	40	60
30	उत्तर प्रदेश	18	167	243	410
31	उत्तराखंड	8	5	9	14
31	पश्चिम बंगाल	26	155	223	378
---	कुल	**488**	**2981**	**3990**	**6971**

अनुलग्नक-II

'परित्यक्त बच्चों को गोद लेना' वषय पर डॉ॰ सुकान्त मजूमदार और श्री खगेन मुर्मु द्वारा दिनांक **28** जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1225** के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भत अनुलग्नक

बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की राज्य-वार संख्या **(19.06.2019** तक की स्थिति**)**

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स से संबद्ध बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या	पुरुष	स्त्री	कुल
1	आंध्र प्रदेश	842	133	209	342
2	अरुणाचल प्रदेश	9	0	1	1
3	असम	105	49	50	99
4	बिहार	58	30	11	41
5	चंडीगढ़	4	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	61	34	53	87
7	दिल्ली	87	17	61	78
8	गोवा	13	0	0	0
9	गुजरात	92	10	21	31
10	हरियाणा	72	52	50	102
11	हिमाचल प्रदेश	38	0	0	0
12	झारखंड	82	0	0	0
13	कर्नाटक	781	26	49	75
14	केरल	485	4	1	5
15	मध्य प्रदेश	62	111	212	323
16	महाराष्ट्र	454	23	30	53
17	मणपुर	41	0	1	1
18	मेघालय	77	5	3	8
19	मजोरम	37	5	3	8
20	नागालैंड	56	0	0	0
21	ओडशा	277	103	106	209
22	पुदुचेरी	6	3	2	5
23	पंजाब	65	8	36	44
24	राजस्थान	32	1	3	4
25	सक्किम	14	0	0	0
26	तमलनाडु	255	13	30	43
27	तेलंगाना	234	5	16	21
28	त्रिपुरा	16	1	5	6
29	उत्तर प्रदेश	34	13	48	61
30	उत्तराखंड	8	0	2	2
31	पश्चिम बंगाल	65	17	40	57
	कुल	**4462**	**663**	**1043**	**1706**

*****